संख्या :2933 /आठ–5–22–05ई/2013

प्रेषक,

राकेश कुमार मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5 **लखनऊ : दिनांक 15 नवम्बर, 2022**

विषय : **उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण सेवा के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को मंहगाई राहत भुगतान किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–23/2022/आई/227018/2022/फा0नं0–10–22099/1401/2020, दिनांक 19.10.2022 (प्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को अनुमन्य मंहगाई राहत की दर दिनांक 01.07.2022 से 34 प्रतिशत से बढ़ाकर 38 प्रतिशत की गयी है।

2– वित्त विभाग के उक्त शासनादेश के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण सेवा के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनरों को अनुमन्य मँहगाई राहत दिनांक 01.07.2022 से 34 प्रतिशत से बढ़ाकर 38 प्रतिशत इस शर्त के अधीन की जाती है कि इस संबंध में होने वाला व्यय संबंधित प्राधिकरण अपने संसाधनों से वहन करेगें तथा इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता प्राधिकरणों को प्रदान नहीं की जायेगी।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

15/11/22

(राकेश कुमार मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या :2933 (I)/ आठ–5–22–05ई/2013, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

2– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार मिश्र)
विशेष सचिव।

Santosh Sir-Go-2022